



# ગાજીયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ

વિકાસ પથ, ગાજીયાબાદ |

પત્રાંક : ૧૭/M.P. | ૨૦૫

દિનાંક : ૨૯-૯-૨૦૧૫

માનવિત્ર સંખ્યા : ૬૫/જોન-૫/૨૦૧૪-૧૫

## માનવિત્ર સ્વીકૃતિ પત્ર

સેવા મેં,

મૈસર્સ એસ૦એમ૦વી૦ એજેન્સીજ પ્રા૦ લિ૦  
૮-સી હંસાલય, 15 બારાખમ્મા રોડ,  
ન્યૂ દિલ્હી।

મહોદય,

આપ દ્વારા ગ્રામ-શાહપુર બંહૈટા મે વિકસિત કી જા રહી ઇન્ટીગ્રેટેડ ટાઉનશિપ કે અન્તર્ગત આપ દ્વારા ઉપરોક્ત વિષયક માનવિત્ર પત્રાવલી કે માધ્યમ સે દિનાંક 02.05.2014 કો પ્રસ્તુત ગુપ્ત હાડસિંગ ભૂખણ્ડ સંઝી.૨ કે પ્રસ્તાવ પર ઉપાધ્યક્ષ મહોદય દ્વારા દિનાંક 01.07.14 કો નિમ્ન શર્તો/પ્રતિબન્ધોને અધીન સ્વીકૃતિ પ્રદાન કી ગયી હૈ:-

1. યાં માનવિત્ર સ્વીકૃતિ કી તિથિ સે કેવળ પાંચ વર્ષ તક વૈધ હૈ।
2. માનવિત્રોની કી ઇસ સ્વીકૃતિ સે કિસી ભી શાસકીય વિભાગ સ્થાનીય નિકાય (જૈસે નગર પાલિકા, જી.ઓડી.ઓ.એ) અથવા કિસી અન્ય વ્યક્તિ કે અધિકાર તથા સ્વામિત્વ કિસી પ્રકાર સે પ્રભાવિત નહીં હોતા હૈ। ભૂમિ સમ્બન્ધી વિવાદ કી સ્થિતિ મેં માનવિત્ર કી સ્વીકૃતિ સ્વતઃ નિરસ્ત માની જાયેગી।
3. ભવન માનવિત્ર જિસ પ્રયોજન હેતુ સ્વીકૃત કરાયા ગયા હૈ તસી પ્રયોગ મેં લાદા જાયેગા।
4. બિજલી કી લાઇન સે નિર્ધારિત સીમા કે અન્દર એવં ભવન ઉપવિધિ કે નિયમો કે અનુસાર નિર્માણ કાર્ય કિયા જાયેગા।
5. સડક સર્વિસ લેન અથવા સરકારી ભૂમિ પર કોઈ નિર્માણ સામગ્રી (બિલ્ડિંગ મૈટેરિયલ) નહીં રહ્યી જાયેગી તથા ગંડે પાની કી નિકાસી કા પૂર્ણ પ્રબન્ધ સ્વયં કરના હોગા।
6. સ્વીકૃત માનવિત્રોની એક સૈટ સ્થળ પર રખના હોગા તાકિ ઉસકી મૌકે પર કભી ભી જાંચ કી જા સકેં તથા નિર્માણ કાર્ય સ્વીકૃત માનવિત્રોની સ્પેશીફિકેશન નિયમો કે અનુસાર હી કરાયા જાયેગા તથા ભવન કે સ્વામિત્વ કી ભી જિમ્મેદારી ઉન્હીં કી હોગી।
7. યાં માનવિત્ર ડોપ્રો નાથ યોજના એવં વિકાસ અધિનિયમ-1973 કી ધારા-15 કે અન્તર્ગત કિસી અન્ય શર્ત કે સાથ સ્વીકાર કિયે જાતે હૈ તો વહ શર્ત ભી માન્ય હોગી।
8. સડક પર અથવા લેન મેં નિર્ધારિત સે અધિક કોઈ રેસ્પ નહીં બનાયે જાયેંગે। યાં કાર્ય અપની હી ભૂમિ પર કરેંગે।
9. સુપરવિઝન એવં સ્પેશીફિકેશન કી નિયમ/શર્તોની કા પાલન કરના હોગા।
10. પ્રસ્તુત શાખથ પત્ર દિનાંક 28.04.2014 કા પાલન કરના હોગા।
11. પ્રસ્તાવિત ભવન મેં રૂફ ટાપ રેન વાટર હાર્વેસ્ટિંગ વ્યવસ્થા કો સુનિશ્ચિત કિયે જાને હેતુ રૂ. 2,00,000/- કી જમાનત રાશિ, એફ.ડી.આર.-808432 દિનાંક 14.08.14 જમા કરાયી ગયી હૈ, જો કી ભવન સમ્પૂર્તિ પ્રમાણ પત્ર નિર્ગત કરને કે સમય રેન વાટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ કે નિર્માણ એવં યથોચિત સંચાલન કી પુષ્ટ હોને કે ઉપરાત્ત અવમુક્ત કી જાયેગી।

dy

12. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वेलफेर बोर्ड के खाता संख्या 50034297206, इलाहाबाद बैंक में लेबर सैस की अवशेष धनराशि शपथ पत्र दिनांक 26.09.14 के अनुसार जमा करानी होगी।
13. इन्टीग्रेटिड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै0 एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0 लि0 (कन्सोर्सियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अधिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रूपये 17.30 करोड़ की बैंक गारंटी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डबलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 06.02.15 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।
14. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य बाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
15. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों की भूमि यथावत रखी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर बिभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
17. हिण्डन एरोडोम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक भवन की ऊंचाई 20 मीटर तक ही निर्माण अनुमत्य होगा।
18. प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
19. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कम्पनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा।
20. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

म्य

21. भवन की स्ट्रक्चरल सेफटी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी ड० वी०डी० शर्मा, एम०ई० द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग आई.आई.टी रूड़की के असीसटेन्ट प्रोफेसर ड० आर०एन० दुबे द्वारा दि० 26.09.2014 से वेट कराकर प्रस्तुत की गयी है। स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राइंग के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.09.14 में वर्णित निर्माण वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने के पश्चात प्रारम्भ करना होगा। डी.पी.आर./ योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001 -भूकम्परोधी/ 2001(आ.ब) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवद्वा किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन प्रिट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैप्लिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-
- 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
  - 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
  - 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

10/

- 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
- 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
- 6- साईट इंजीनियर इन्प्रेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
- 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
22. भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
23. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
24. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार क्रीड़ा क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में करना होगा।
25. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।
26. पार्किंग का निर्माण मानचित्र में दर्शित ग्रिड के अनुरूप करना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान ग्रिड सहित प्रस्तुत करना होगा।
27. आप द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार पार्किंग प्लान में दर्शित विजिटर्स पार्किंग को आवंटियो को नहीं दिया जायेगा अपितु यथावत रखना होगा तथा स्थल पर साईन बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।
28. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।
29. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग हेतु पर्यावरणीय एवं प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.09.14 के क्रम में तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।
30. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पत्रांक-आर.63/जे0डी0/फा0सा0-14(गा0बाद)/228 दिनांक 21.08.14 एवं संलग्न मानचित्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
31. ड्राईव-बे की डिजाइन व एक्जेक्यूशन अग्निशमन विभाग के बाहनों के भार बहन क्षमता एवं आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।
32. आर.डब्लू.ए. व बिल्डर्स के मध्य आपसी बाद/विवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
33. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
34. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अभिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी. यू.पी.पी.सी.एल., भवन उपविधि-2008, एन. बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/ निर्माण कार्यों एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।
35. ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित तलपट मानचित्र के घनत्व के अनुसार ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु प्रस्तावित ईकाईयों के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भूखण्डों के आकार के कारण यदि उक्त भूखण्डों पर वांछित ईकाईयों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उक्त श्रेणी के भवनों की पूर्ति योजनान्तर्गत अन्य भूखण्डों में विकासकर्ता की स्वामित्व की भूमि पर करना होगा, जिस हेतु दी गयी अण्डरटेकिंग दिनांक 26.09.14 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
36. प्रश्नगत भूखण्ड के अन्तर्गत अन्य के स्वामित्व की भूमि का पहुँच मार्ग बाधित नहीं किया जायेगा।
37. लिफ्ट के संचालन हेतु कॉरपस फण्ड बनाने सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 26.09.14 का पालन करना होगा।

✓

38. प्रस्तावित ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवन निर्माण की विशिष्टियों शासनादेश संख्या 5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.2010 के अनुसार रखनी होंगी तथा शासनादेश संख्या 3338/आठ-1-11-80विविध/2010 दिनांक 26.09.2011 का अनुपालन करना होगा।
39. प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाएंगे। इन भूखण्डों/भवनों का आवंटन उक्त आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा। यदि कोई आवंटन किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवंटन करना होगा।
40. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

  
मुख्य नगर नियोजक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम०पी०/६५/जोन-५/२०१४-१५

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-५ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
मुख्य नगर नियोजक